पत्रांकः 49 /प0प्र0 (ए–2)/पी0आई0यू0जे0/2025–26 दिनांकः 13.05.2025

अति अल्पकालीन नीलामी सूचना

जनपद नैनीताल के हल्द्वानी विकास खण्ड के अन्तर्गत जमरानी बाँध बहुउद्देशीय परियोजना के कमांड क्षेत्र की नहर–हरिपुरा फीडर कैनाल निर्माणाधीन है, जिसके अन्तर्गत (किमी0 0.000 से किमी0 2.500) के मध्य विभिन्न प्रजाति के वृक्ष (पेडो) की नीलामी हेतु इच्छुक बोलीदाताओं से आवेदन दिनांक 17.05.2025 की अपराहन 2:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। नीलामी संबंधी बोलियां उसी दिन अपराहन 2:30 बजे से बोलीदाताओं द्वारा नीलामी समिति के समक्ष बोली जाएगीं। नीलामी से सम्बन्धित विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	नीलामी हेतु वृक्ष (पेड़)		दस्तावेज जमा करने की अन्तिम तिथि	नीलामी की तिथि व समय	नीलामी दस्तावेज का शुल्क 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित (रू0 में)	जमानत धनराशि जी0एस0टी0 रहित (रू0 में)
		प्रजाति	संख्या				
01	जनपद नैनीताल के हल्द्वानी विकास खण्ड के अन्तर्गत जमरानी बॉध बहुउद्देशीय परियोजना के कमांड क्षेत्र की नहर– हरिपुरा कैनाल क्षेत्रान्तर्गत (किमी0 0.000 से किमी0 2.500) के मध्य विभिन्न प्रजाति के वृक्ष (पेडों) की नीलामी	1. सागौन 2. शीशम 3. यूकेलिप्टस 4. सेमल 5. अन्य	01 04 01 07 39	दिनांक 17.05.2025 समय अपराहन 2:00 बजे	दिनांक 17.05.2025 समय अपराहन 2:30 बजे	590/–	22,700/–

नीलामी से सम्बन्धित नियम व शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय व वैबसाईट (*www.jamranidam.com*) पर देखी जा सकती हैं।

13.5.25
परियोजना प्रबन्धक (ए–2)
पी0आई0यू0 जमरानी
हल्द्वानी।

UPDCC
Uttarakhand Project Development And Construction Corporation Ltd.
उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड
Damuadhunga, Kathgodam (Nainital)
दमुवाढुंगा, काठगोदाम (नैनीताल)

नियम एवं शर्तें –

अति अल्पकालीन नीलामी सूचना
दिनांकः 13.05.2025

1. नीलामी प्रक्रिया नियत तिथि व समय पर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में नीलामी समिति द्वारा निष्पादित की जाएगी।
2. नीलामी में वही व्यक्ति/फर्म प्रतिभाग कर सकेंगे जिनके द्वारा नीलामी दस्तावेज प्राप्त कर उसको निर्धारित तिथि व समय तक कार्यालय में (जमानत धनराशि के साथ) जमा कर दिया है। जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी FDR के रुप में देय होगी जो **महाप्रबन्धक पी0आई0यू0 जमरानी** के पदनाम से बंधक होगी।
3. नीलामी दस्तावेज अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से कार्यालय समय में नियत शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
4. नीलामी दस्तावेज का शुल्क रु0 590/– डिमान्ड ड्राफट के रुप में (दो डिमान्ड ड्राफट रु0 500/– एंव रु0 90/–) **महाप्रबन्धक पी0आई0यू0 जमरानी** के पदनाम से देय होगा।
5. उपरोक्त वृक्षों (पेड़ों) की नीलामी "जैसा है वैसी स्थिति" में नीलाम किया जाना है।
6. नीलामी के पश्चात सम्बंधित व्यक्ति को एक माह के भीतर वृक्ष उठाना आवश्यक है। ऐसा न करने पर नीलामी निरस्त करते हुए पेड़ों को जब्त कर लिया जायेगा।
7. वृक्षों (पेड़ों) का आरक्षित मूल्य रु0 2,26,888.00 लाख (जी0एस0टी0 रहित) मात्र है। रु0 2,26,888.00 लाख से सबसे अधिक बोली लगाने वाले बोलीदाता को सफल घोषित किया जाएगा। सफल बोलीदाता द्वारा लगाई गई बोली का मूल्य (18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित) एक सप्ताह के भीतर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा किया जाना होगा (महाप्रबन्धक पी0आई0यू0 जमरानी के पदनाम से डिमान्ड ड्राफट के रुप) जिसके उपरान्त ही सफल बोलीदाता के नाम नीलामी आदेश निर्गत होगा।
8. जिस व्यक्ति/ फर्म के नाम पर नीलामी जारी होगी उसकी जमानत धनराशि वृक्ष उठाने के 1 सप्ताह के पश्चात वापस की जाएगी व शेष व्यक्ति/ फर्म की जमानत धनराशि नीलामी दिवस के तीन दिन के भीतर लौटा दी जाएगी।
9. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक बोलीदाता नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्थल पर नीलाम होने वाले पेड़ों का भली भाति निरीक्षण कर लें। बाद में कोई क्लेम अथवा वाद स्वीकार नहीं होगा।
10. ऐसे ठेकेदार जिन पर सिंचाई विभाग का पूर्व का धन शेष है या उनके विरूद्ध कोई वाद दायर किया हो या अन्य किसी कारणवश विभाग द्वारा डिफाल्टर घोषित किया गया हो, उनको नीलामी में बोली लगाने का कोई अधिकार नहीं होगा।
11. नीलामी स्वीकार होने के पश्चात पेडों की रखवाली स्वयं ठेकेदार को करनी होगी। नीलाम हुए पेड़ों की चोरी होने पर ठेकेदार का कोई भी क्लेम, दावा स्वीकार नही होगा। किसी भी स्थिति के लिए बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
12. पेड़ों की जड़ों की खुदाई स्वयं ठेकेदार को करनी होगी।
13. पेड़ों के पातन सम्बन्धी अनुमति प्राप्त की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त पेड़ों की निकासी/ अन्य औपचारिकताऐं/कार्यवाही बोलीदाता को स्वयं अपने स्तर पर पूरी करानी होगी।
14. बोलीदाता को नीलामी स्थल पर प्रवेश हेतु पहचान पत्र (आधार कार्ड) लाना अनिवार्य है। बिना पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को नीलामी स्थल पर प्रवेश नही करने दिया जायेगा।
15. नीलामी के दिवस पर अवकाश होने की स्थिति में नीलामी प्रक्रिया अगले कार्य दिवस पर की जाएगी।
16. सशर्त नीलामी पर विचार नहीं किया जायेगा।
17. अधोहस्ताक्षरी को बिना किसी कारण बताये इस नीलामी को प्रत्येक स्तर पर निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।
18. नीलामी में भाग लेने हेतु केवल बोलीदाता/उनके अधिकृत प्रतिनिधि को ही नीलामी स्थान में प्रवेश करने दिया जायेगा।
19. भविष्य में इस नीलामी सम्बन्धी सभी जानकारियां वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जाएगी।
20. चूंकि नहर के इस हिस्से का निर्माण/ पेड़ों का पातन मानसून से पूर्व किया जाना है, जिस कारण इस नीलामी को अति अल्पकालीन किया गया है।
21. अधिक जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी/ उप राजस्व अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

13.5.25
परियोजना प्रबन्धक ए–2
पी0आई0यू0, जमरानी
हल्द्वानी

उपरोक्त सभी शर्तो को आज दिनांक .... को पढकर, एवं सुनकर मैने हस्ताक्षर किये है। यदि मेरे द्वारा उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो परियोजना प्रबन्धक पी0आई0यू0, जमरानी को नीलामी निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

Office Address: Office of Project Manager (A2), Jamrani Drinking Water Multipurpose Project, PIU Jamrani (UPDCC), Jamrani Colony, Damuadhunga, Haldwani, 263139, Website: www.jamranidam.com, E-mail: pma2piuj@gmail.com,